GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 20
TO BE ANSWERED ON 03.02.2022

Impact of air pollution on health

*20. SHRI TIRUCHI SIVA:

Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

(a) whether Government has assessed the impact of air pollution on health of individuals;
(b) if so, the details thereof including different sources identified and the impact of each, State-wise;
(c) whether steps have been taken to reduce the adverse impact on health; and
(d) if so, the details thereof, State-wise?

ANSWER

MINISTER FOR ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
(SHRI BHUPENDER YADAV)

(a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

***

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARAS (a) TO (d) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 20 FOR 03.02.2022 REGARDING "IMPACT OF AIR POLLUTION ON HEALTH" RAISED BY SHRI TIRUCHI SIVA, HON'BLE MEMBER OF PARLIAMENT.

(a) & (b) Air pollution is one of the triggering factors for respiratory ailments and associated diseases. There is no conclusive data available in the country to establish direct correlation of death/ disease exclusively due to air pollution. Health effects of air pollution are synergistic manifestation of factors, which include food habits, occupational habits, socio-economic status, medical history, immunity, heredity, etc., of the individuals.

Indian Council of Medical Research (ICMR) under the Ministry of Health & Family Welfare along with Public Health Foundation of India (PHFI) and Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME) has conducted the study titled 'India: Health of the Nation's States - The India State-Level Disease Burden Initiative' which was published in 2017. The study report provided the distribution in diseases and risk factors across all states of the country from 1990 to 2016. The five leading risk factors indentified for Disability-Adjusted Life Years (DALYs) in 2016 include child and maternal malnutrition, air pollution, dietary risks, high systolic blood pressure, and high fasting plasma glucose.

(c)& (d) The Ministry of Health and Family Welfare is taking measures under the National Programme on Climate Change and Human Health, which was approved under the National Health Mission in February, 2019. Under this programme awareness campaigns are organised by the State and District Programme Units. Sentinel surveillance on air pollution related illness has also been initiated. At national level, a Health Adaptation Plan document has also been developed. Further, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has taken several initiatives for mitigation of air pollution across the country, which *inter alia* include measures for reducing vehicular and industrial emissions, air pollution due to dust and burning of waste, crop residue, etc. The details are enclosed at **Annexure-I.**

In addition, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has launched National Clean Air Programme (NCAP) in January 2019 to tackle the problem of air pollution in a comprehensive manner with targets to achieve 20 to 30 per cent reduction in PM_{10} and $PM_{2.5}$concentrations by 2024. A total of 132 non-attainment and million plus cities have been identified.

City Specific Action Plans have been prepared and rolled out for implementation in132 non-attainment and million plus cities. The City Specific Action Plans, *inter-alia,* include measures for reducing vehicular/industrial emissions, reducing stubble/bio-mass burning, solid waste management, construction and demolition waste management, strengthening the monitoring network and increasing public awareness. The details of action plans are available at https://cpcb.nic.in/approved-city-action-plans.

High Level Committees have been set up at the Central, State/ UT and District/ City levels to steer activities under NCAP and also for their monitoring and implementation.

All these initiatives help reduce the impact of air pollution on health.

*****

ANNEXURE - I

Annexure - I referred in reply to part (c) & (d) of the Rajya Sabha Starred Question No. 20 due for answer on 03.02.2022 regarding 'Impact of air pollution on health'

Measures taken by the Government for Air Quality Management

Vehicular emissions

- Leapfrogging from BS-IV to BS-VI norms for fuel and vehicles since April, 2020.
- Network of metro rails for public transport are enhanced and more cities are covered.
- Development of Expressway and Highways are also reducing the fuel consumption and pollution.
- Eastern Peripheral Expressway & Western Peripheral Expressway have been operationalised to divert non destined traffic from Delhi.
- Ban on 10-year-old diesel vehicles and 15-year-old petrol vehicles in Delhi NCR.
- Environment protection charges (EPC) have been imposed on diesel vehicles with engine capacity of 2000cc and above in Delhi NCR.
- Introduction of cleaner/alternate fuels like CNG, LPG, ethanol blending in petrol.
- Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles (FAME) -2 scheme has been rolled out.
- Permit requirement for electric vehicles has been exempted.
- Promotion of public transport and improvements in roads and building of more bridges to ease congestion on roads.

Industrial emissions

- Stringent emission norms for Coal based Thermal Power Plants (TPPs).
- Ban on use of pet coke and furnace oil in NCR with restricted use of pet coke in cement plants, lime kilns and calcium carbide manufacturing units.
- Shifting of industrial units to PNG.
- Installation of online continuous emission monitoring devices in highly polluting industries.
- Shifting of brick kilns to zig-zag technology for reduction of pollution

Air pollution due to dust and burning of waste

- Notifications of 6 waste management rules covering solid waste, plastic waste, e-waste, bio-medical waste, C&D waste and hazardous waste.
- Setting up infrastructure such as waste processing plants.
- Extended Producer Responsibility (EPR) for plastic and e-waste management.
- Ban on burning of biomass/garbage.

Crop residue/Parali management

- Under Central Sector Scheme on 'Promotion of Agricultural Mechanization for in-situ management of Crop Residue in the States of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and NCT of Delhi', agricultural machines and equipment for in-situ crop residue management are promoted with 50% subsidy to the individual farmers and 80% subsidy for establishment of Custom Hiring Centres.
- Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation (SATAT) has been launched as an initiative to set up Compressed Bio-Gas (CBG) production plants and make CBG available in the market for use in automotive fuels.

Monitoring of ambient air quality

- Expansion of air quality monitoring network of manual as well as continuous monitoring stations under programmes such as National Air Monitoring Programme (NAMP).
- Initiation of pilot projects to assess alternate ambient monitoring technologies such as low-cost sensors and satellite-based monitoring.
- Implementation of Air Quality Early Warning System for Delhi, Kanpur and Lucknow. The system provides alerts for taking timely actions.

- Public Complaints regarding air pollution issues in Delhi NCR are taken through 'Sameer App', 'Emails'(Aircomplaints.cpcb@gov.in) and 'Social Media Networks' (Facebook and Twitter).

Monitoring implementation of NCAP

- Government has launched National Clean Air Programme (NCAP) as a national level strategy to reduce air pollution levels across the country. City Specific Clean Air Action Plans have been prepared and rolled out for implementation in132 non-attainment and million plus cities.
- ₹ 406.7 crores have been sanctioned to non-attainment cities under NCAP for initiating actions such as expansion of monitoring network, construction and demolition waste management facilities, non-motorised transport infrastructure, green buffers, mechanical street sweepers, composting units etc.
- As per the Fifteenth Finance commission recommendations ₹4400 crores have been released in the Budget of FY 2020-21 to tackle the burgeoning problem of air pollution for 42 urban centres with a million-plus population. Further, an amount of ₹12,139 crores has been allocated for improvement of air quality for the award period FY 2021-26.
- City Specific Action Plans for improvement of air quality has been prepared and approved for implementation.
- Implementation of the city specific action plans are regularly monitored by Committees at Central and State level namely Steering Committee, Monitoring Committee and Implementation Committee.
- PRANA a portal for monitoring implementation of NCAP has been launched.

Steps taken to improve air quality in NCR and adjoining areas

- **A Commission on Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas (CAQM)**has been constituted by enactment of an Act by Parliament for better co-ordination, research, identification and resolution of problems surrounding the air quality index and for matters connected therewith or incidental thereto.
- The Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas(CAQM) constituted a **sub-committee for operationalization of GRAP and issuing necessary orders to the effect**, under which regular meetings are held.

*****

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *20

03.02.2022 को उत्तर के लिए

वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर प्रभाव

*20. **श्री तिरूची शिवा :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो चिह्नित किए गए विभिन्न स्रोतों और उनमें से प्रत्येक के प्रभाव सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वास्थ्य पर इसके कुप्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री

(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर प्रभाव' के संबंध में श्री तिरूची शिवा, माननीय संसद सदस्य द्वारा दिनांक 03.02.2022 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *20 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): वायु प्रदूषण सांस की बीमारियों और संबंधित रोगों को उत्पन्न करने वाले कारकों में से एक है। देश में ऐसे कोई निर्णायक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिनके आधार पर यह प्रमाणित किया जा सके कि प्रत्यक्ष रूप से केवल वायु प्रदूषण के कारण किसी की मृत्यु/बीमारी होती है। वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव विभिन्न कारकों के समन्वित लक्षणों के रूप में प्रकट होते हैं, जिनमें व्यक्तियों की खान-पान की आदतें, पेशागत आदतें, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, पूर्व में स्वास्थ्य की स्थिति, प्रतिरक्षण क्षमता, आनुवंशिकता आदि शामिल हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा भारतीय जन-स्वास्थ्य फाउंडेशन (पीएचएफआई) तथा स्वास्थ्य मीट्रिक्स एवं मूल्यांकन संस्थान (आईएचएमई) के साथ मिलकर 'भारत: देश के राज्यों का स्वास्थ्य-भारत राज्य स्तरीय रोग भार पहल' शीर्षक से अध्ययन कराया गया था जिसे वर्ष 2017 में प्रकाशित किया गया था। इस अध्ययन की रिपोर्ट में वर्ष 1990 से 2016 तक देश के सभी राज्यों में रोगों के प्रसार और जोखिम कारकों की जानकारी उपलब्ध कराई गई। वर्ष 2016 में अशक्तता-समायोजित जीवन वर्षों (डीएएलवाई) के लिए अभिज्ञात पांच प्रमुख जोखिम कारकों में बाल और मातृ कुपोषण, वायु प्रदूषण, आहार संबंधी जोखिम, उच्च सिस्टोलिक रक्तचाप और खाली पेट में उच्च प्लाज्मा ग्लूकोस शामिल हैं।

(ग) और (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसे फरवरी, 2019 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुमोदित किया गया था, के अंतर्गत उपाय किए जा रहें हैं। इस कार्यक्रम के तहत, राज्य और जिला कार्यक्रम इकाइयों द्वारा जागरूकता अभियान संचालित किए जाते हैं। वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारी के संदर्भ में प्रहरी निगरानी भी शुरू की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर, एक स्वास्थ्य अनुकूलन योजना दस्तावेज भी तैयार किया गया है। इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देश भर में वायु प्रदूषण के उपशमन हेतु अनेक पहलें की गई हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, वाहन जनित और औद्योगिक उत्सर्जनों, धूल और अपशिष्ट, फसल अवशेष आदि जलाने के कारण उत्पन्न वायु प्रदूषण में कमी लाने हेतु किए गए उपाय शामिल हैं। इसका ब्यौरा **अनुबंध-I** में संलग्न है।

इसके अतिरिक्त, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया है जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक PM_{10} और $PM_{2.5}$ की सांद्रताओं में 20 से 30 प्रतिशत कमी के लक्ष्य के साथ व्यापक ढंग से वायु प्रदूषण की समस्या से निपटना है। कुल 132 अवमानक वायु गुणवत्ता वाले तथा 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को अभिज्ञात किया गया है।

अवमानक वायु गुणवत्ता वाले और 10 लाख से अधिक आबादी वाले 132 शहरों में कार्यान्वयन हेतु शहर-विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार और शुरू की गई हैं। शहर-विशिष्ट कार्य योजनाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ वाहन जनित/औद्योगिक उत्सर्जनों में कमी लाने, पराली/बायोमास जलाने की घटना में कमी लाने, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करने, निर्माण और विध्वंस कार्य कलापों से

उत्पन्न अपशिष्ट का प्रबंधन करने, निगरानी नेटवर्क को सुदृढ़ करने तथा जन-जागरूकता बढ़ाने के उपाय शामिल हैं। इन कार्य योजनाओं का ब्यौरा http://cpcb.nic.in/approved-city-action-plans पर उपलब्ध है।

एनसीएपी के तहत कार्यकलापों को संचालित करने के साथ-साथ उनकी निगरानी और कार्यन्वयन के लिए केंद्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा जिला/शहर के स्तरों पर उच्चस्तरीय समितियां गठित की गई हैं।

इन सभी पहलों से वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव को कम करने में मदद मिलती है।

*****

अनुबंध-I

'वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर प्रभाव' के संबंध में श्री तिरूची शिवा द्वारा दिनांक 03.02.2022 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *20 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु सरकार द्वारा किए गए उपाय

वाहनीय उत्सर्जन

- अप्रैल, 2020 से ईंधन और वाहनों के लिए बीएस-IV से सीधे बीएस-VI मानक अपनाना।
- जन परिवहन के लिए मेट्रो रेल के नेटवर्क में वृद्धि की गई है और अधिक शहरों को शामिल किया गया है।
- एक्सप्रैसवे और राजमार्गो के विकास से भी ईंधन की खपत और प्रदूषण में कमी आ रही है।
- दिल्ली से गैर-लक्षित ट्रैफिक मार्ग परिवर्तन के लिए पूर्वी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का संचालन किया गया है।
- दिल्ली एनसीआर में 10 वर्ष पुराने सभी डीजल चालित वाहनों और 15 वर्ष पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- दिल्ली एनसीआर में 2000 सीसी और उससे अधिक की इंजन क्षमता वाले डीजल चालित वाहनों पर पर्यावरण सुरक्षा प्रभार (ईपीसी) लागू किया गया है।
- सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण जैसे स्वच्छतर/वैकल्पिक ईंधन की शुरूआत करना।
- इलेक्ट्रिक वाहनों का त्वरित अंगीकरण और विनिर्माण (फेम)-2 स्कीम की शुरूआत की गई है।
- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए परमिट आवश्यकता पर छूट दी गई है।
- सड़कों पर भीड़-भाड़ को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और सड़कों में सुधार करना व ज्यादा पुलों का निर्माण करना।

औद्योगिक उत्सर्जन

- कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के लिए कड़े उत्सर्जन मानक जारी करना।
- दिल्ली और एनसीआर के राज्यों में सीमेंट संयंत्रों, चूना भट्टियों और कैल्शियम कार्बाइड विनिर्माण इकाइयों में पेट कोक के प्रतिबंधित उपयोग सहित पेट कोक तथा फर्नेस ऑयल पर प्रतिबंध लगाना।
- औद्योगिक इकाइयों द्वारा पीएनजी अपनाना।
- अत्यधिक प्रदूषण उत्पन्न कर रहे उद्योगों में ऑन लाइन सतत निगरानी उपकरणों की संस्थापना।
- प्रदूषण में कमी करने के लिए ईंटभट्टों द्वारा मिश्रित प्रौद्योगिक अपनाना।

धूलकण और कचरे को जलाने के कारण वायु प्रदूषण

- ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट को शामिल करते हुए 6 अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की अधिसूचना जारी की गई है।
- अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र जैसी अवसंरचनाओं की स्थापना करना।
- प्लास्टिक और ई-अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उत्पादक के विस्तारित उत्तरदायित्व (ईपीआर)
- बायोमास/कचरे के जलाने पर प्रतिबंध लगाना।

फसल अवशिष्ट/पराली प्रबंधन

- 'पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में फसल अवशिष्ट के स्व-स्थाने प्रबंधन हेतु कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देना' से संबंधित केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के तहत, वैयक्तिक किसानों को 50 प्रतिशत रियायत पर और कस्टम हाईरिंग सेंटरों की स्थापना करने के लिए 80 प्रतिशत रियायत के सहित स्व-स्थाने फसल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कृषि मशीनों और उपकरणों को बढ़ावा दिया गया है।
- कंम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने और ऑटोमोटिक ईंधन में उपयोग करने के लिए सीबीजी को बाजार में उपलब्ध कराने के लिए ''किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प (एसएटीएटी)'' की एक नई पहल शुरू की गई है।

परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी

- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनएएमपी) जैसे कार्यक्रमों के तहत हस्तचालित स्टेशनों के साथ-साथ सतत निगरानी स्टेशनों का वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क का विस्तार
- कम लागत के सेंसरों और उपग्रह आधारित निगरानी जैसे वैकल्पिक परिवेशी निगरानी प्रौद्योगिकियों का आकलन करने के लिए प्रायोगिक परियोजना की शुरूआत।
- दिल्ली, कानपुर और लखनऊ के लिए वायु गुणवत्ता शीघ्र चेतावनी प्रणाली का कार्यान्वयन । यह प्रणाली समय पर कार्रवाई करने के लिए चेतावनी जारी करती है।
- दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दों के संबंध में जन शिकायतें 'समीर एप्प', 'ईमेल' (Aircpmplaints.cpcb@gov.in) और 'सोशल मीडिया नेटवर्कस' (फेसबुक और ट्विटर) के माध्यम से की जाती है।

एनसीएपी के कार्यान्वयन की निगरानी

- सरकार ने देश भर में वायु प्रदूषण के स्तरों में कमी करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया है। शहर विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं और 132 अवमानक वायु गुणवत्ता और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कार्यान्वयन हेतु शुरू की गई है।
- एनसीएपी के तहत अवमानक वायु गुणवत्ता वाले शहरों को निगरानी नेटवर्क का विस्तारण, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं, गैर मोटर चालित परिवहन अवसंरचना,

हरित बफर क्षेत्रों, सड़कों की मशीनीकृत सफाई, कम्पोस्टिंग इकाइयों आदि जैसी कार्रवाइयों को शुरू करने के लिए 406.7 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए हैं।

- 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरी केन्द्रों के लिए वायु प्रदूषण की बढ़ती हुई समस्या का समाधान करने के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में 4400 करोड़ रूपये जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए वित्त वर्ष 2021-26 की संबंधित अवधि के लिए 12,139 करोड़ रूपये की धनराशि आबंटित की गई है।
- वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शहर विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं और कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित की गई हैं।
- शहर विशिष्ट कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की केन्द्रीय और राज्य स्तर की समितियों जैसे कि संचालन समिति, निगरानी समिति और कार्यान्वयन समिति द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाती है।
- एनसीएपी के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए एक पोर्टल, प्राण की शुरूआत की गई है।

एनसीआर और समीपवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उठाए गए कदम:

- गुणवत्ता सूचकांक से संबंधित समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, अभिज्ञान और समाधान और उससे संबंधित मामलों और उसके प्रासंगिक मामलों के लिए संसद द्वारा अधिनियम के अधिनियमन द्वारा **एनसीआर और समीपवर्ती क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन के संबंध में एक आयोग (सीएक्यूएम)** को गठित किया गया है।
- एनसीआर और समीपवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग (सीएक्यूएस) ने **जीआरएपी के प्रचालन और इस विषय में आवश्यक आदेश जारी करने हेतु उप-समिति** गठित की गई है जिसके तहत नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं।

*****

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I appreciate the well-informed and learned Minister for the initiatives that he has taken to reduce the impact of air pollution on health and the measures taken for air quality management. The Ministry has introduced a new star rating system for the State Environment Impact Assessment Authorities for granting speedy environmental clearances, and has placed high points for fast acceptance of proposals and penalties for State Environment Impact Assessment Authorities which ask for additional documents. If a State Environment Impact Assessment Authority asks for additional documents, penalty is imposed. I would like to know: Is the Ministry aware of the negative impact this can have on issuing of inadequately assessed environmental clearances?

श्री भूपेन्द्र यादव : उपसभापति जी, मेरे विद्वान साथी बहुत ही अनुभवी पार्लियामेंटेरियन हैं। उन्होंने जो प्रश्न पूछा है, वह इस प्रश्न के संबंध में नहीं है। उन्होंने जो प्रश्न मुझ से पूछा है वह एयर पॉल्युशन कंट्रोल, हैल्थ सिस्टम के बारे में पूछा है, लेकिन माननीय सदस्य जो प्रश्न मुझ से कर रहे हैं, वह Environment Impact Assessment के बारे में है, जो कि मंत्रालय की एक प्रक्रिया है। परंतु मैं फिर भी उत्तर के माध्यम से उनसे यह कहना चाहूंगा कि, हाँ, मंत्रालय के द्वारा एक सर्कुलर निकाला गया है कि विभिन्न राज्यों के बीच में जो environment clearance दी जाती है, उसकी star rating किस प्रकार से की जाए। यह हमारी तरफ से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे देश में green investment के लिए इस बात की आवश्यकता है कि प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाए। जो भी application आती है, उसका एक निष्पक्ष तरीके से मूल्यांकन किया जाए, ताकि निवेश के लिए जो भी लोग आते हैं, उनका कार्य सुविधाजनक तरीके से हो जाए। इस सर्कुलर में किसी भी प्रकार से नहीं कहा गया है कि कोई relaxation किया जाए, लेकिन त्वरित application का निस्तारण करना, application को अनावश्यक न हटाना ease of doing business के लिए आवश्यक है। इन दोनों ही बातों की आवश्यकता है। Ease of Doing Business के मानक का पालन करते हुए forest क्षेत्र में clearance देते समय जो पूरे नियम हैं, उनको पूरे तरीके से लागू किया जाए, इसलिए इसको star rating का दर्ज़ा दिया गया है, ताकि विभिन्न राज्य अपने यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुधार कर निवेश को भी बढ़ा सकें और forest को भी बचा सकें। इस निष्पक्षता के लिए इसको लागू किया गया है। यह प्रश्न मूल प्रश्न से हट कर है, लेकिन मैं माननीय सदस्य का बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए आपकी अनुमति से मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ।

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, my question is about the impact of air pollution. Because of inadequate clearances, it may cause air pollution. That was the intention of my first supplementary.

The second is about the amendment in the Agreement to replace the word 'phase out' with 'phase down.' In the U.N. Climate Change Conference in Glasgow,

the Ministry pushed for the amendment replacing the word 'phase out' with 'phase down' of unabated coal power. What are the reasons for moving the amendments?

श्री भूपेन्द्र यादव : सर, यह प्रश्न फिर मूल प्रश्न से हट कर है, अगर आप कहेंगे, तो मैं इसका उत्तर देता हूँ।

श्री उपसभापति : जरूर। अगर आप उत्तर देना चाहें, तो जरूर दें।

श्री भूपेन्द्र यादव : सर, जलवायु परिवर्तन के ऊपर ग्लासगो में जो COP-26 की वार्ता हुई थी, उसमें भारत ने पूरी दुनिया के विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व किया था।

DR. K. KESHAVA RAO: He is asking you to answer in English.

SHRI BHUPENDER YADAV: The translation is available. सर, जलवायु परिवर्तन के ऊपर जो COP-26 हुआ था, उसमें माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व किया था। 2015 में जब दुनिया में जलवायु परिवर्तन के लिए Paris Agreement हुआ था, तो एक principle लागू किया गया था - CBDR - Common But Differentiated Responsibilities. दुनिया के सारे देशों ने यह तय किया था कि पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन विभिन्न देश अपने national circumstances के अनुसार अपने लक्ष्यों को तय करेंगे। दुनिया में अभी तक जो विकास हुआ है, दुनिया का सबसे ज्यादा carbon space विकसित देशों के द्वारा घेरा गया है, इसलिए जिम्मेदारी उनकी है। भविष्य में ऊर्जा उत्पादन के लिए renewable energy में जाने के लिए भारत ने वहाँ पर अपने 50 प्रतिशत लक्ष्यों को भी घोषित किया है और भारत ने renewable energy में 40 परसेंट के लक्ष्यों को प्राप्त भी किया है, लेकिन जब दुनिया में जलवायु परिवर्तन की यह वार्ता चल रही है, तो उस वार्ता के अंतर्गत भारत ने कहा है कि Paris Agreement के CBDR - Common But Differentiated Responsibilities का पालन होना चाहिए। इसलिए अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप हम phase out नहीं कर सकते, भारत में phase down करके हम renewable energy की ओर जाएँगे। यह principle दुनिया के सभी विकासशील देशों ने स्वीकार किया है और भारत के द्वारा रखे गए सारे विषयों को स्वीकार किया है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने पूरी दुनिया के सामने environment-friendly lifestyle का जो मंत्र दिया है, जिस पर दुनिया को आगे बढ़ा कर हम दुनिया को जलवायु परिवर्तन के संकट से बचा सकते हैं, उसी का पालन करते हुए सब लोगों ने स्वीकार किया कि phase out उचित नहीं है, phase down के माध्यम से ही विकासशील देश अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।

श्री उपसभापति: धन्यवाद। डा. सांतनु सेन।

DR. SANTANU SEN: Sir, I would like to know from our learned Minister that how much concerned our Government is regarding the following facts:

As per the data provided by Yale University Environmental Performance Index, out of 180 countries, India ranks 168th. So far as the mostly polluted countries are concerned, India ranks 5th in the world. Amongst Asian countries, India ranks 3rd and, unfortunately, out of the most polluted 10 metropolitan cities in the world, India has 3 and Delhi happens to be the most. I want to know the concern of our Government. Thank you.

श्री भूपेन्द्र यादव : सर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि दुनिया भर में जो Environmental Performance Index रहता है, उसका क्या मानक विकासशील देशों के अनुरूप है, इस पर हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने already pollution करके carbon space को घेर रखा है, उनकी historical responsibility को इसके अंतर्गत क्यों नहीं जोड़ा जाता है, यह पहला विषय है।

दूसरा विषय यह है, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि भारत की जनसंख्या दुनिया की जनसंख्या का 17 प्रतिशत है, लेकिन दुनिया में हमारा जो carbon emission है, वह केवल 4 प्रतिशत है। हमारे यहां per capita carbon emission दुनिया में न्यूनतम है और यह हमारी जीवन पद्धति और विकास के मानकों के कारण है। जहां तक air pollution का सवाल है, तो हमारी सरकार इसके समाधान के लिए पूरे तरीके से कार्य कर रही है। अभी वित्त आयोग के द्वारा लगभग 4,400 करोड़ रुपया इस कार्य के लिए दिया गया है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा National Clean Air Mission Programme भी चलाया जाता है। इस वर्ष National Clean Air Mission Programme की पश्चिमी क्षेत्र की क्षेत्रीय बैठक मुम्बई में की गई। हालांकि Omicron के कारण बाकी बैठकें होने से रह गईं, लेकिन उन बैठकों को भी आगे बढ़ाने की योजना है।

महोदय, जहां तक बड़े शहरों में हो रहे पॉल्यूशन की बात है, तो उसके लिए सरकार के द्वारा mitigation के अनेक उपायों को किया जा रहा है। इसके अंतर्गत ईंधन की जो खपत होती है, उसको भी बदलने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ-साथ इंडस्ट्रीज़ में भी पॉल्यूशन के नये मानक तय किए जा रहे हैं। जो पराली जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो उसको भी जैव ईंधन के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए सरकार के द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं। वर्तमान बजट में भी सरकार ने green technology के आधार पर देश का विकास करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। देश के 132 शहरों में हम लोगों ने environment pollution के यंत्र लगाए हैं। हवा के अंतर्गत 12 मानक पाए जाते हैं, जिनमें PM2, PM10, nitrogen, lead से लेकर 12 मानक होते हैं, उनकी मात्रा को इन यंत्रों के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। 132 शहरों का जो मानक तय होता है, उसके आधार पर ही मंत्रालय के द्वारा उन नगरों को सहायता दी जाती है और mitigation के उपायों के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के द्वारा भी 'स्वच्छ भारत मिशन' से लेकर बहुत सारे अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनमें air pollution के लिए भी काम किया जा रहा है। आने वाले समय में National Clean Air Programme को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग चारों क्षेत्रों में regional conference करने जा रहे हैं। अब मंत्रालय ने यह भी तय किया है जब हम regional conference करेंगे, तो सांसदों को भी उसमें आमंत्रित करेंगे, ताकि वे भी अपने-अपने municipality areas और नगरीय क्षेत्रों में air pollution के जो विषय हैं, उनके समाधान के लिए रचनात्मक कार्य कर सकें।

DR. AMEE YAJNIK: Sir, I would like to tell the hon. Minister that I have seen the detailed reply and what is happening in the cities on the front of mitigation of air pollution. But is there any plan by the Government to ask the cities to collect data on their own for air pollution that is happening in individual cities so that a Central database can be created to see that the mitigation takes effectively?

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय सदस्या जी का यह एक बहुत अच्छा सुझाव है, लेकिन चूंकि हमें मानक तय करने होते हैं, तो उसके लिए एक समान रूप से उनका अध्ययन होना चाहिए। अगर हम अलग-अलग शहर को स्वायत्त तरीके से अनुमति देंगे, तो उन सबके मानक तय करने और डेटा क्रिएट करने के अपने अलग-अलग तरीके हो जाएंगे, इसीलिए हमने 132 शहरों में समान मानक के आधार पर यंत्र स्थापित किए हैं। National Clean Air Mission Programme के अंतर्गत मंत्रालय के द्वारा विभिन्न municipalities के साथ MoU करके कार्य किया जाता है। Finance Commission ने जो राशि उपलब्ध करवाई है, अभी जब पश्चिमी क्षेत्र में इसकी बैठक हुई, उस समय महाराष्ट्र की अनेक municipalities के साथ MoU किया गया। हमारा यह मानना है कि air pollution की समस्या को स्थानीय स्वशासन स्तर की हमारी जो संस्थाएं हैं, वे बेहतर तरीके से हल कर सकती हैं। चूंकि air pollution का कारण केवल धुआं नहीं है, कचरे का निष्पादन भी air pollution के कारणों में आता है, औद्योगिक उत्पादन भी आता है, dust भी आती है और vehicles भी आते हैं। इनमें स्थानीय संस्थाओं का ज्यादा उपयोग हो सकता है, इसलिए क्षेत्रीय स्तर पर हम लोग अपनी workshop आयोजित कर रहे हैं, जिनमें महानगर पालिकाओं से ही लोगों को बुला रहे हैं। आगे हम उनमें सांसदों को भी बुलाने की योजना बना रहे हैं।

श्री दीपक प्रकाश: उपसभापति महोदय, झारखंड के पूर्व में, सिंहभूम की जादूगोड़ा यूरेनियम माइन्स में लगातार हो रहे रेडिएशन के कारण वहां जलीय प्रदूषण हो गया है, जिसके कारण कई गांवों में महिलाओं के गर्भपात हो रहे हैं। जो बच्चे पैदा हो भी रहे हैं, उनमें कई बच्चे लगभग अपंग और मानसिक रूप से विक्षुब्ध पैदा हो रहे हैं। इसके साथ- साथ कई लोगों को वहां कैंसर की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है।

श्री उपसभापति: दीपक जी, आप सवाल कीजिए।

श्री दीपक प्रकाश : यूरेनियम की खान के कारण जो जलीय प्रदूषण हुआ है, उसके कारण ही ये सब समस्याएं पैदा हो रही हैं। मेरा प्रश्न यह है कि उस जलीय प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय सदस्य महोदय ने झारखंड के एक विशेष क्षेत्र के सम्बन्ध में और खास तौर से water pollution के बारे में प्रश्न पूछा है। माननीय उपसभापति जी, मैं इससे सम्बन्धित तथ्यों का पता लगवा कर माननीय सदस्य को लिखित में उत्तर भेज दूंगा।

श्री उपसभापति : प्रश्न संख्या 21.

SHRI VENKATARAMANA RAO MOPIDEVI: Sir, I thank you very much for the opportunity given. I would like to bring to the notice of the Government of India and request that since the Andhra Pradesh is blessed with the second largest coastline of 974 kms, inland water bodies of 8 lakh hectares and 350 sq. Kms. of Mangrove area, there is an enormous scope for establishment of Integrated Aqua Parks, aquarium complexes, oceanaria, sports fishing, tourism boats, water sports for promoting the eco-tourism for employment and income generation to the State as well as....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please be brief.

SHRI VENKATARAMANA RAO MOPIDEVI: Our hon. Chief Minister, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy *garu* under his immaculate leadership is striving hard for..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please be brief in your question. *..(Interruptions)..*

SHRI VENKATARAMANA RAO MOPIDEVI: ...generation of employment to a large extent in the State and the Government of India's support in this*...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Venkataramana *ji*, this is not Zero Hour. Please put your question. What is your question?

SHRI VENKATARAMANA RAO MOPIDEVI: I would like to know as to whether the Government has taken any measures for introducing aqua tourism in the State of Andhra Pradesh.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य को लिखित उत्तर में भी जो जवाब दिया गया है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि तटवर्ती परिपथ काकीनाडा और नेल्लूर, ये दोनों लगभग पूर्णता की तरफ हैं और लगभग पूरे हो गये हैं।

दूसरा Shalihundam and Bavikonda बौध परिपथ है, यह भी आंध्र प्रदेश में दिया गया है, यह भी पूरा हुआ है। 'प्रसाद योजना' के तहत अमरावती शहर और श्रीसेलम दो बड़ी परियोजनाएं हैं, जिन्हें पूरा किया गया है। मूलतः पर्यटन के प्रचार और प्रसार का काम राज्य सरकार का है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें और भी बता सकता हूं कि आंध्र प्रदेश की आवश्यकताओं और उपयोगिता को देखते हुए पर्यटन के महत्व का जो प्रदेश है, उसमें भारत सरकार ने पर्याप्त मात्रा में वहां सहयोग किया है और आगे भी सहयोग करने का विचार है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The second supplementary.

SHRI VENKATARAMANA RAO MOPIDEVI: Aqua tourism could also be a good source of income for the coastal communities, especially the fishing community. Fisherfolks should be heavily engaged in aqua tourism projects...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you reading something or putting your question?

SHRI VENKATARAMANA RAO MOPIDEVI: Finished, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has no other question. Now, Shri V. Vijayasai Reddy.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, I would like to know this from the Minister. Aqua tourism could be a good source of income for the coastal communities, especially, fishing community. Fisherfolks should be heavily engaged in aqua tourism projects. Has the Minister had any discussions with the Department of Fisheries and also the respective State Governments where there is a coastal line to collaborate on promoting the aqua tourism?

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : महोदय, जो 'प्रसाद' और 'स्वदेश दर्शन' की योजना है, वह तटवर्ती परिपथ के तहत ही वहां हैं, लेकिन जो पर्यटन और सौंदर्य की बात माननीय सदस्य ने की है, उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि राज्य सरकारें ही प्रस्ताव भेजती हैं और उनके तहत पुट्टपर्थी में भी लाइट एंड साउंड शो हुआ है, वह प्रस्ताव भी पूरा होने की स्थिति में है। विशाखापत्तनम पत्तन के बाहरी बंदरगाह में भी, जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं, उसके लिए भी लगभग 38 करोड़ रुपये भारत सरकार ने दिये हैं। सिंहाचलम और अन्नावरम एक विचाराधीन परियोजना है। मुझे लगता है कि जो बात मैंने पहले भी कही है कि राज्य सरकारों की सहमति से ही ये प्रस्ताव हमारे पास आते हैं और मैं मानता हूं कि बाकी राज्यों की तुलना में आंध्र प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में प्रस्ताव दिये गये हैं। जो अन्य कार्यक्रम जिलों में होते हैं, उन चार जिलों में भी आंध्र प्रदेश में पैसे दिये गये हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Q. No. 22. The questioner is not present. Any supplementaries?

*22. **[The Questioner was absent]**

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: Sir, this is with regard to classical language status to Marathi. Many scholars, many historians, the State Government of Maharashtra, many MPs across the board coming from Maharashtra have made this request repeatedly. I had also put it on the Table as a special mention in the 253rd Session. Every time, the response is, 'it is under active consideration'. My only question on this particular topic is: How long will this active consideration last?

श्री अर्जुन राम मेघवाल : डिप्टी चेयरमैन सर, जैसा कि माननीया सांसद ने आपके माध्यम से प्रश्न पूछा, मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि यह ठीक है कि matter under active consideration है, लेकिन वर्तमान सरकार भारतीय भाषाओं और संस्कृति को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। आपने देखा होगा कि हमने अब तक 6 भाषाओं को classical language का दर्जा दिया है। यह गृह मंत्रालय का 2004 का एक नोटिफिकेशन था। उसके तहत एक नोटिफिकेशन 25.11.2005 को निकला, जिसमें गृह मंत्रालय ने संस्कृति मंत्रालय को classical language का दर्जा देने का काम करने के लिए authorize किया। इसमें फिर हमने एक languages expert committee बनायी। इस कमेटी के माध्यम से साहित्य अकादमी में matter गया। यह matter बहुत सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही निर्णय होगा, शीघ्र होगा, सकारात्मक होगा, लेकिन inter-ministerial discussion चल रहा है, consultation चल रहा है। जैसे ही निर्णय आयेगा, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को और माननीया सांसद को अवगत करा दूँगा।

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे: उपसभापति जी, मुझे यह पूछना है कि महाराष्ट्र सरकार के अन्दर के समन्वय के अभाव में इस प्रस्ताव में कुछ खामियाँ रही हैं, क्या यह जानकारी सही है? ...**(व्यवधान)**...

श्री अर्जुन राम मेघवाल: डिप्टी चेयरमैन सर, माननीय सांसद ने जो प्रश्न किया है, जैसा मैंने कहा कि linguistic expert committee इस काम को जाँच रही है। निश्चित रूप से ऐसा होता है कि जब राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है, तो यह matter साहित्य अकादमी में जाता है। कुछ छोटी-मोटी कमियाँ रहती भी हैं, तो वे दूर कर ली गयी हैं। जैसे मराठी भाषा कितनी पुरानी language है, क्या-क्या साहित्य है, तीसरी शताब्दी में क्या लिखा गया, बारहवीं शताब्दी तक क्या लिखा गया और बारहवीं शताब्दी के बाद क्या लिखा गया। मैं माननीय सांसद को बताना चाहता हूँ कि मराठी भाषा और मराठा साहित्य पर यह देश गर्व करता है। ...**(व्यवधान)**... उस पर देश गर्व करता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि active consideration का प्रकरण - पहले जो माननीय सांसद ने उठाया - सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है और बहुत ही जल्दी, शीघ्र ही इस पर निर्णय होने वाला है।

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : सर, मैं मंत्री महोदय से सिर्फ यह पूछना चाहती हूँ कि जो मराठी भाषा है, उसकी संस्कृति और उसके इतिहास की परम्परा बहुत ही प्राचीन है। आदिकवि मुकुंद राज से इस मराठी भाषा का उद्गम हुआ था और ज्ञानेश्वर महाराज ने उसे आगे बढ़ाया था। हमारे संत नामदेव इस मराठी भाषा को पंजाब तक लेकर गये।

श्री उपसभापति : रजनी जी, आप सवाल पूछिए।

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : सर, मैं वही पूछ रही हूँ। उन्होंने कहा कि आप बहस कर रहे हैं।

श्री उपसभापति : आपको सवाल पूछना है।

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : सर, मंत्री महोदय ने बताया। मैं उनको बताना चाहती हूँ। मैं उनको मराठी भाषा का ज्ञान देना चाहती हूँ।

श्री उपसभापति: आप ज्ञान देना चाहती हैं, तो अलग बात है। अगर आप सवाल पूछना चाहती हैं, तो मैं मौका दे सकता हूँ। आप ज्ञान अलग से बाहर दे सकती हैं। आप सवाल पूछिए।

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल: सर, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ - अभी हमारे भाई विनय सहस्त्रबुद्धे जी बोल रहे थे। वे हर जगह पर राजनीति करना चाहते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किये हैं कि मराठी भाषा को सांस्कृतिक लेवल पर लिया जाए। क्या Government of India अपने प्रयास से इसको जल्दी सांस्कृतिक दर्जा देना चाहती है? वह उसके लिए क्या करना चाहती है, मैं यह पूछना चाहती हूँ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : डिप्टी चेयरमैन सर, मैंने जो पहले जिक्र किया कि हमें मराठी भाषा, मराठा साहित्य और मराठा इतिहास पर गर्व है। हम जल्द ही इस पर निर्णय करने वाले हैं। आप इस पर शंका मत कीजिए। ...**(व्यवधान)**... आप जो ज्ञान दे रहे हैं, उससे ज्यादा ज्ञान हम भी रखते हैं। हमने इसके बारे में खूब पढ़ा है। ऐसी बात नहीं है। ...**(व्यवधान)**... लेकिन डिप्टी चेयरमैन सर, जब inter-ministerial consultation होता है, तो उसमें समय लगता है। MHRD का भी - संस्कृति मंत्रालय, उसके बाद गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, यानी कई मंत्रालयों के बीच inter-ministerial consultation चल रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी सकारात्मक निर्णय से हम आपको अवगत करायेंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Q. No. 23. The questioner is not present. Any supplementaries?